

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या :- 261 / 2015

बउनवान

रामगोपाल पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, अटरू जिला बारां
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक
2- परोकार सरकार
(अपीलांट)
(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 7.3.2019

अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 297 / 2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 18.9.2015 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम ढोटी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह में खसरा नम्बर 1574 रकबा 2.00 हेक्टर भूमि पर फसल उद्द की बोकुर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 1000/- रुपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 11.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा पृथक से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 29 / 2015 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 11.12.2015 से स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड के ऊपर उपलब्ध समस्त तथ्यों का विवेचन न करके भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम ढोटी की खसरा नम्बर 1574 रकबा 2.00 है0 भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण मानकर अपीलांट को 30 दिन के सिविल कारावास एवं 1000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है एवं अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना है जो खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है।

निर्णय दिनांक 18.9.2015 की अपील को कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपील की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया है। जो सर्वथा खिलाफ कानून है। अपील को निर्णय दिनांक 18.9.2015 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.12.2015 को हुई जब पुलिस अपील को गिरफ्तार करने गांव में आयी, तब अपील ने अटर्न जाकर मालूम किया एवं दिनांक 4.12.2015 को ही नकल के लिये प्रार्थना पत्र लगाया एवं दिनांक 4.12.2015 को ही नकल मिली। अतः तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। इस कारण दिनांक 8.9.2015 से दिनांक 4.12.2015 तक की अवधि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत कण्डोन फरमायी जावे। इसके लिये धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अलग से पेश कर दिया गया है।

यदि अपील की सजा माफ नहीं की गई तो अपील को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। अपील अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा निर्णय दिनांक 18.9.2015 निरस्त फरमाया जावे एवं पत्रावली सुनवाई हेतु पुनः तहसीलदार अटर्न को रिमाण्ड की जावे।

इसके विपरीत पेशेकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपील द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह भूमि पर फसल उद्द की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया और तामील खुले मकान पर चस्पा की जाकर करवाई गयी है। अपील अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपील को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपील द्वारा पूर्व में भी इसी रकबे पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपील द्वारा पुनः सम्बत् 2072 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपील द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामील खुले मकान पर चस्पा की जाकर करवाई गई है। अपील वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटर्न में अनुपस्थित रहा है। हम पेशेकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपील द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटर्न द्वारा प्रकरण संख्या 297/2015 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 18.9.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर,
बारां